

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार,
उप सचिव-सह-विधि प्रभारी

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:- विभाग में न्यायिक वादों से संबंधित तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए अधिवक्ताओं का
पैनल तैयार करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग में विभिन्न
न्यायिक वादों में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल गठित किये जाने
हेतु सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन प्रारूप सी0डी0
सहित आवश्यक क्रियार्थ संलग्न की जा रही हैं।

अनुरोध है कि इस विज्ञापन को सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की
कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सत्येन्द्र कुमार)

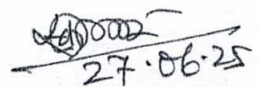
उप सचिव-सह-विधि प्रभारी

ज्ञापांक:- सं0सं0-1 / विधि-03 / 2020(नि0)..... 2091 / श्र0सं0

पटना, दिनांक:- 27/6/25

प्रतिलिपि:- श्री घनश्याम रविदास, श्रम अधीक्षक (निर्माण श्रमिक)-सह- विभागीय नोडल पदाधिकारी,
e-advertisement Portal, श्रीमती स्वाति, सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क
पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट
पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

2.नोडल पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि सूचना एवं जन
सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को उचित माध्यम से प्रेषित करने हेतु आई0टी0 प्रबंधक, श्रम
संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित करने की कृपा की जाय।


27.06.25

उप सचिव-सह-विधि प्रभारी

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
प्रेस विज्ञप्ति (संशोधित)

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3727 दिनांक-30.04.2009 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से ससमय प्रतिउत्तर समर्पित करने के लिए विभाग की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सेवा संबंधी मामलों का अनुभव रखने वाले एवं अंग्रेजी के जानकार तथा माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं का एक अस्थाई पैनल बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त पैनल हेतु प्राप्त आवेदनों के समीक्षोपरांत पैनल का निर्धारण हेतु विभाग स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार एवं तथ्य विवरणी तैयार किये जाने एवं उनके कार्य अनुभव की समीक्षा करते हुए पैनल निर्धारण हेतु अनुशंसित किया जाएगा।

3. पैनल में सूचीबद्ध विद्वान अधिवक्ता को न्यायिक वादों का तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु याचिका की प्रति/संचिका एवं आवश्यक कागजात सम्बद्ध प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. पैनल में सूचीबद्ध विद्वान अधिवक्ता से यह अपेक्षा होगी कि सम्बद्ध प्रशाखा से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यक कागजात प्राप्त कर तथ्य विवरणी तैयार करेंगे।

5. कतिपय मामलों में अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होने पर शीघ्र तथ्य विवरणी बनाये जाने की अपेक्षा की जा सकेगी।

6. नये तैयार पैनल के किसी भी विद्वान अधिवक्ता का कार्य संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में बिना कारण बताये सूची से अपलेखित करने अथवा पूरी सूची भंग करने की पूर्ण शक्ति प्रशासी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। तथ्य विवरणी (SOF) तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं का नया पैनल गठित किये जाने की तिथि से पूर्व में गठित अधिवक्ताओं का पैनल स्वतः निरस्त माना जायेगा।

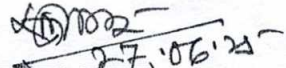
7. सूचीबद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार की गयी तथ्य विवरणी के अनुमोदित होने के पश्चात् प्रति तथ्य विवरणी पारिश्रमिक का भुगतान वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3882 दिनांक-03.05.2023 के आलोक में प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु रु 2000/- (दो हजार रुपये) मात्र तथा तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु रु 500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र देय होगा।

8. तथ्य विवरणी तैयार कराने हेतु विभाग के स्तर पर तैयार किये जाने वाले पैनल में अधिवक्ताओं की संख्या निर्धारित करने का अधिकार श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

9. इस हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इच्छुक, सेवा संबंधी आदि मामलों का अनुभव रखने वाले एवं अंग्रेजी के जानकार अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। दिनांक-27.04.2025 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

10. इच्छुक अधिवक्ताओं से प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से दिनांक-10.07.2025 (5:00 बजे अपराह्न) तक सेवा संबंधी मामलों में कार्य अनुभव से संबंधित अभिलेख के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन श्रम संसाधन विभाग, A ब्लॉक, द्वितीय तल, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना-800001 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

11. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र के लिए <https://state.bihar.gov.in/labour> पर देखा जा सकता है।


(सत्येन्द्र कुमार)
उप सचिव-सह-विधि प्रभारी

(1) आवेदक का नाम :-

(2) पिता/पति का नाम :-

(3) पञ्चायत का पता :-

(4) जन्म तिथि :-

(5) शैक्षणिक योग्यता :-

(6) माननीय उच्च न्यायालय में निबंधन संख्या/वर्ष :-

(7) अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव :-

(8) कोई अपराधिक मुकदमा में दंडित

नहीं होने का घोषणा पत्र :-

(9) आवेदक का हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं० :-

(10) दिनांक :-

(11) स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर